MUNICIPAL CORPORATION

YAMUNA NAGAR-JAGADHRI

निविदा /सूचना

नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी में 3 क्यूबिक व 1.1 क्यूबिक के डस्टबीन रिपोयर करवाने हेतू इच्छुक व्यक्तियों/ ऐजैन्सियों से निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। जिसके लिये इच्छुक फर्म/ ऐजैन्सी अपनी निविदाएं ई–टैन्डरिंग के माध्यम से दिनांक 03.10.2017 को सायं 5.00 बजे तक नगर निगम की वैबसाईट etenders.hry.nic.in पर आमन्त्रित की जाती हैं। अतः इससे सम्बन्धित आवश्यक सूचना एवं शर्ते कार्यालय में तथा वैबसाईट पर उपलब्ध है। फर्म/ऐजैन्सी को टैन्डर फीस 2000/– रूपये एवं धरोहर राशी 50000/– रूपये आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी के नाम पर दिनांक 03.10.2017 को सायं 5.00 बजे तक जमा करवानी होगी जो कि दिनांक 04.10.2017 को खोली जायेगीं।

Name of Work:- Repair of Dustbins.

नोटः– **आयुक्त नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी को बिना कोई भी कारण बताये टैन्डर रद्ध करने का अधिकार होगा ।**

आयुक्त,
नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी।

<u>नियम व शर्तें</u>

1. ऐजैन्सी को निविदा के साथ बतौर अग्रिम राशि 2,000 रू0 नगद या इस राशि का डिमाण्ड ड्राफट जो कि आयुक्त नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के नाम देय हो देना होगा।
2 ऐजैन्सी को 50,000 रू0 का डी0 डी0 आयुक्त नगर, निगम यमुनानगर-जगाधरी के नाम देना होगा जो कार्य के संतोषजनक समाप्त होने उपरान्त बिना ब्याज वापिस की जायेगी।
3. ऐजैसी के पास पैन/टैन नंबर होना अनिवार्य है।
4. ऐजैन्सी की वर्ष 2015-2016 की टर्न ओवर 50 लाख रूपये से उपर होनी चाहिए।
5. ऐजैन्सी के वर्क ऑर्डर जारी होने के 40 दिन के अन्दर-2 सभी डस्टबीन व हाथ रेहडी ठीक करके देने होंगे।
6. डस्टबीन व हाथ रेहड़ी ठीक करने पश्चात बनाई गई कमेटी से पास करवाने होंगे। पास कराने उपरान्त डस्टबीनों पर हरे रंग का पेंट व हाथ रेहड़ी पर नीले रंग का पेंट करना होगा व दोनों तरफ नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी तथा ''स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत'' लिखना होगा तथा एक साईड पर डस्टबीनों व हाथ रेहड़ी पर नम्बर लिखने होंगे।
7. ऐजैन्सी द्वारा सभी डस्टबीनों व हाथ रेहड़ी ठीक करवाने उपरान्त ही नियमानुसार टी0डी0एस0 काट कर राशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0 द्वारा बैंक के माध्यम से किया जायेगा। जिस बारे ऐजैन्सी को फर्म का बैंक अकाउंट नम्बर भी देना होगा।
8. यह डस्टबीन शहर में विभिन्न स्थानों पर तथा हाथ रेहड़ी निगम स्टोर में रखे हुए है। जिनका निरीक्षण किसी भी समय किया जा सकता है।
9. **ऐजैन्सी को दी गई स्पेशीफिकेशन अनुसार ही डस्टबीन व हाथ रेहड़ी रिपेयर करनी होगी व जो रेट निविदा में भरे जायेंगे <u>वह पुरानी स्क्रैप काटकर भरने होंगे</u>।**
10. निगम स्टोर से डस्टबीन व हाथ रेहड़ी लेकर जाने व ठीक होने उपरान्त स्टोर में पहुंचाने की जिम्मेवारी ऐजैन्सी/फर्म की होगी।
11. निविदाएं से सम्बन्धित सभी दस्तावेज दिनांक 03.10.2017 को सायं 5:00 बजे तक निगम कार्यालय के सफाई शाखा में जमा करवाने होंगे।
12. ऐजैन्सी को इस प्रकार के कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिसके प्रमाण की कापी साथ संलग्न करेंगे।
13. ऐजैन्सी की फर्म लघु उद्योग से प्रमाणित होना चाहिए। जिसकी कापी भी साथ संलग्न करेंगे।